न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :–309 / 2021 **निर्णय दिनांक :– 02.12.2022**

1. देवा पुत्र धूला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
2. बन्नालाल पुत्र दुर्गालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
3. रामलाल पुत्र उददा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
4. गोपाल पुत्र उददा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
5. श्योनारायण पुत्र उददा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
6. मोहनी पुत्री उददा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।

–प्रार्थीगण–

–बनाम–

तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार
दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 1234 / 1383 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थी न0 3 ता 6 के पिता उद्दा पुत्र धूला की मृत्यु हो चुकी हैं। राजस्व रिकार्ड में आराजी भूमि खसरा नम्बर 1234 सिवायचक दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1765 / 1234

जयपुर कोटा नेशनल हाईवे है । प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर खसरा नम्बर 1765/1234 जयपुर कोटा नेशनल हाईवे से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1234 मे से होकर आते जाते रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा रास्ते के अभाव मे अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहे है जिससे प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1765/1234 जयपुर कोटा नेशनल हाईवे से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1234 में से होकर 30 फीट चोड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ० धारा 251 ए राज० टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 1234/1383 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज० पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1765/1234 जयपुर कोटा नेशनल हाईवे से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1234 मे से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

अप्रार्थी को तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार अधिवक्ता प्रार्थीगण से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया तहसीलदार दूनी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को

अपने आराजी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। यद्यपि रास्ता चाहने वाली भूमि सिवायचक है परन्तु इस भूमि बाहुबली व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है। न्यायालय चाहे तो 30 फीट से कम रास्ता दे सकता है। प्रार्थीगण इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि रिपोर्ट के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। खाता नम्बर 119 खसरा नम्बर 1234/1383 रकबा 0.12 है0 वाके तनग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी प्रार्थीगण की भूमि से पूर्व सिवायचक भूमि ख. नं. 1234 रकबा 0.05 है0 वाके तनग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली है, जिसमें से प्रार्थी रास्ता चाहता है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है परन्तु कृषि भूमि पर जाने के लिए 30 फीट रास्ते की आवश्यकता नहीं है तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने भी कम चौड़ाई का रास्ता देने में सहमति व्यक्त की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता जिसकी चौड़ाई 3.658 मीटर एवं लम्बाई 30 मीटर अर्थात 109.74 अर्थात 110 वर्गमीटर क्षैत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान डी.एल.सी दर 4651260/– प्रति है0 के अनुसार 110 वर्गमीटर के लिए एक गुना प्रतिकर राशि 51164/– की

दुगनी प्रतिकर राशि 102328/– अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली